

मातृ सदन, जगजीतपुर,
कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
दिनांक 30 सितम्बर, 2018

सेवा में:

श्री नरेन्द्र भाई मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय : माँ गंगा जी की वर्तमान भीषण दुर्दशा के लिये तुरन्त अतिआवश्यक कदम उठाने और उनकी अक़िरलता, प्रवाह तथा जल, गाद तथा प्राणितन्त्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने के लिये मेरा 22 जून से चल रहा आमरण अनशन।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

आज मेरे विषयान्तर्गत उपवास/तपस्या का 101वाँ दिन पूरा हुआ। फरवरी में केन्द्र सरकार के गंगा- मंत्रालय/नमामि गंगे आदि के क्रियाकलापों से पूर्णतया निराश हो जब मैंने 22 जून तक कुछ अपेक्षाएँ पूरी न होने पर 22 जून 2018 से आमरण उपवास करने का निर्णय लिया तो 24 फरवरी, 2018 को इस आशय का एक पत्र अपनी अपेक्षाएँ स्पष्ट करते हुए स्पीडपोस्ट द्वारा भेजा था (देखें संलग्नक-1, स्पीडपोस्ट की प्रतिलिपि के साथ)। पत्र पर किसी भी प्रकार प्रतिक्रिया न पाने पर और ना ही भू-स्थिति या कार्य विधि में कोई भी अन्तर दिखने पर दूसरा पत्र 13 जून 2018 को पुनः अपनी अपेक्षाएँ और 22 जून से आमरण उपवास करने का अपना निर्णय स्पष्ट करते हुए आपको भेजा (देखें संलग्नक-2, स्पीडपोस्ट की प्रतिलिपि के साथ)। एक बार फिर न कोई प्रतिक्रिया, न भू-स्थिति में कोई बदलाव। फलतः मैंने अपने निश्चयानुसार 22 जून 2018 से अपना आमरण उपवास प्रारम्भ कर, सूचना आपको अपने 23 जून, 2018 के पत्र से दे दी (देखें संलग्नक-3)।

आपने 2014 के चुनाव के लिये वाराणसी से उम्मीदवारी-भाषण में कहा था - "मुझे तो माँगंगा जी ने बुलाया है-अब गंगाजी से लेना कुछ नहीं, अब तो बस देना ही है।" मैंने समझा आप भी हृदय से गंगाजी को माँ मानते हैं (जैसा कि मैं स्वयं मानता हूँ और 2008 से गंगाजी की अक़िरलता, उसके नैसर्गिक स्वरूप और गुणों को बचाये रखने के लिये यथाशक्ति प्रयास करता रहा हूँ) और माँ गंगाजी के नाते आप मुझसे 18 वर्ष छोटे होने से मेरे छोटे भाई हुए। इसी नाते आपको अपने पहले तीन (संलग्नक 1 से 3) पत्र आपको छोटा भाई मानते हुए लिख डाले। जुलाई के अन्त में ध्यान आया कि भले ही माँ गंगाजी ने आपको बड़े प्यार से बुलाया, जिताया और प्रधानमंत्री पद दिलाया पर सत्ता की जद्दोजहद (और शायद मद भी) में माँ किसे याद रहेगी-और माँ की ही याद नहीं, तो भाई कौन और कैसा। यह भी लगा कि हो सकता है कि मेरे पत्र आपके हाथों तक पहुँचे ही ना हों-शासन तन्त्र में ही कहीं उलझे पड़े हों। अतः 05 अगस्त, 2018 को पुनः आपको एक पत्र अबकी बार आपको छोटा भाई नहीं प्रधानमंत्री सम्बोधित करते हुए भेजा (देखें संलग्नक-4) और आप तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये उसकी एक प्रति बहिन उमाश्री भारती जी के माध्यम से भिजवाई। मुझे पता चला है कि वह पत्र आपके हाथों और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की बैठक तक पहुँचा है। पर परिणाम ? परिणाम, आज तक तो वही ढाक के तीन पात। कोई अर्थपूर्ण पहल नहीं। गंगा मन्त्री गडकरी जी को न गंगाजी की समझ है, न उनके प्रति आस्था, (हाँ दिखाने भर की श्रद्धा हो सकती है)। फिर सड़कों के जाल से फुर्सत कहाँ, और गंगाजी में मालवाहक जहाज भी तो चलाने हैं, चाहे उसके लिये गंगाजी को वाराणसी की खाड़ी में परिवर्तित करना पड़े। नमामि गंगे के हजारों करोड़ रुपये से सैकड़ों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जायेंगे और करोड़ों नगरवासियों की वोट मिलने का जुगाड़ हो जायेगा। गंगाजी बेचारी क्या देंगी।

तो जैसा मैंने अपने पहले वाक्य में लिखा, आज मात्र नींबू पानी लेकर उपवास करते हुए मेरा 101वाँ दिन है—यदि सरकार को गंगाजी के विषय में, वे युगों-युगों तक अपने नैसर्गिक गुणों से भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वालों को लाभान्वित करती रहें, इस दिशा में, कोई पहल करनी थी तो इतना समय पर्याप्त से भी अधिक था। अतः मैंने निर्णय लिया है कि मैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा (तदनुसार 09 अक्टूबर 2018) को मध्याह्न अन्तिम गंगा स्नानकर, जीवन में अन्तिम बार जल और यज्ञशेष लेकर जल भी पूर्णतया (मुँह, नाक, ड्रिप, सिरिज या किसी भी माध्यम से) लेना छोड़ दूँगा और प्राणान्त की प्रतीक्षा करूँगा (09 अक्टूबर मध्याह्न 12 बजे के बाद यदि कोई मुझे माँ गंगाजी के बारे में मेरी समी माँगे पूरी करने का प्रमाण भी दे तो मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दूँगा)। प्रमु राम जी मेरा संकल्प शीघ्र पूरा करें, जिससे मैं शीघ्र उनके दरबार में पहुँच, गंगाजी की (जो प्रमु राम जी की भी पूज्या हैं) अवहेलना करने और उनके हितों को हानि पहुँचाने वालों को समुचित दण्ड दिलवा सकूँ। उनकी अदालत में तो मैं अपनी हत्या का आरोप भी व्यक्तिगत रूप से आप पर लगाऊँगा—अदालत माने न माने।

प्रमु राम जी आपको सदबुद्धि दें इस शुभकामना के साथ।

माँ गंगाजी के प्रति सच्ची निष्ठावाला

उनका पुत्र

ज्ञानस्वरूपसानन्द

(स्वामी ज्ञान स्वरूप सानन्द)

सन्यास पूर्व डॉ० गुरुदास अग्रवाल
प्रोफेसर एवं हैड सिविल, IIT कानपुर
सदस्य सचिव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रतिलिपि :

1. माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3. माननीय मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. माननीय चेयरमैन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
5. श्री नितिन गडकरी जी, मा. जल संसाधन एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. सुश्री उमाश्री भारती, मा. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. माननीय पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. माननीय मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
10. श्रीमान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस, देहरादून।
12. श्रीमान मण्डलायुक्त, हरिद्वार।
13. श्रीमान जिलाधिकारी, जिला हरिद्वार।
14. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला हरिद्वार।
15. श्रीमान थानाध्यक्ष, थाना कनखल, हरिद्वार।